राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An Autonomous Institution Under Deptt. Of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

फा.सं. 41-15/2011/एनआईओएस/कार्मिक/ 20 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश -93/2020

विषय : कोविड -19 को फैलने से रोकने के लिए उपाय

उपर्युक्त विषय पर डीओपीटी का.ज्ञा.सं. 11013/9/2014-स्था. (क-III) दिनांक 19.03.2020 तथा बाद में मा.सं.वि.मं. के का.ज्ञा.सं. ए-44011/04/2020-ई.आई दिनांक 19.03.2020 के अनुपालन में एनआईओएस के सभी विभागाध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 'ख' और 'ग' समूह के 50 प्रतिशत कार्मिक प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित हों और शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से कार्य करने का निर्देश दिया जाए।

सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों (समूह 'ख' और 'ग') की कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे समूह 'ख' और 'ग' के कार्मिकों के लिए एक साप्ताहिक रोस्टर तैयार करें तथा उन्हें वैकल्पिक सप्ताह में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहें।

इसके अलावा, जो कार्मिक जिस दिन विशेष में कार्यालय में उपस्थित होते हैं उन सभी कार्मिकों के लिए कार्य अवधि के घंटों को तीन समूहों में बांटा जाना चाहिए और उन्हें निम्नलिखित समयानुसार कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाना चाहिए :

(क) पूर्वाह्न 09 बजे से उपराह्न 5.30 बजे तक
(ख) पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 06 बजे तक
(ग) पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 6.30 बजे तक

जो कार्मिक जिस दिन विशेष में रोस्टर के अनुसार घर से कार्य कर रहे हैं, उन्हें हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधनों पर उपलब्ध रहना चाहिए। यदि उन्हें किसी कार्य से बुलाया जाता है, तो उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस.के.सिन्हा)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

वितरण :

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ उप निदेशक (अध्यक्ष कार्यालय)
3. उप निदेशक (लेखा परीक्षा), एनआईओएस
4. एसए/पी को एनआईओएस की कार्यालयी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. लेखा अधिकारी, एनआईओएस
6. कार्यालय आदेश फाइल।